"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 76] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 27 फरवरी 2018 — फाल्गुन 8, शक 1939

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 22 जनवरी 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1–93/2010/नौ/17–1. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अलिपिकीय पैरा मेडिकल एवं नर्सिंग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2013 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,–

1. अनुसूची–तीन में, सरल क्रमांक 18 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"18.	खण्ड विस्तार प्रशिक्षण अधिकारी (बीईटीओ)	21	35	समाज शास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री या सामाजिक कार्य (एम.एस.डब्ल्यू.) में स्नातकोत्तर डिग्री या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लोक स्वास्थ्य में स्नातकोत्तर डिग्री	संभाग स्तरीय पदोन्नति समिति"	

2. अनुसूची–चार में, सरल क्रमांक 20 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाये।

3. अनुसूची–चार में, सरल क्रमांक 16 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"16	बहुद्देशीय पर्यवेक्षक–पुरूष, 50 प्रतिशत बहुद्देशीय पर्यवेक्षक–महिला / एलएचव्ही, 50 प्रतिशत	खण्ड विस्तार प्रशिक्षण अधिकारी	1. एमपीएस / पर्यवेक्षक (पुरूष / महिला) के रुप में 5 वर्ष का सेवा अनुभव होना चाहिये 3. समाजशास्त्र में एम.ए. उत्तीर्ण होना चाहिये 4. एमपीएस (पुरूष / महिला) के पद पर कार्यरत समस्त कर्मचारियों की शासित (अधिष्ठायी) वरिष्ठता अनुरक्षित की जायेगी	संभाग स्तरीय पदोन्नति समिति"

4. अनुसूची–चार में, सरल क्रमांक 21 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"21.	बहुद्देशीय पर्यवेक्षक–पुरूष / बहुद्देशीय पर्यवेक्षक–महिला	स्वास्थ्य शिक्षा विस्तार अधिकारी	1. 10 वर्ष का सेवा अनुभव होना चाहिये 2. समाज शास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री या सामाजिक कार्य (एम.एस.डब्ल्यू.) में स्नातकोत्तर डिग्री या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लोक स्वास्थ्य में स्नातकोत्तर डिग्री	संभाग स्तरीय पदोन्नति समिति"

No. F 1-93/2010/9/17-1. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Health and Family Welfare Department Non-ministerial Para-Medical and Nursing (Directorate Health Services) Class-III Service Recruitment Rules, 2013, namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

1. In Schedule-III, for serial number 18 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"18.	Block Extension Training Officer (BETO)	21	35	Post Graduation Degree in Sociology Or Post Graduation Degree in Social Work (M.S.W.) Or Post Graduation Degree in Public Health from any recognized University	Division Level Promotion Committee"	

2. In Schedule-IV, serial number 20 and entries relating thereto shall be omitted.

3. In Schedule-IV, for serial number 16 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"16.	1. Multipurpose Supervisor-male, 50 Percent 2. Multipurpose Supervisor-Female/LHV, 50 Percent	Block Extension Training Officer	1. Should have 5 years service experience as MPS/Supervisor (Male/ Female) 2. Should have passed M.A. in Sociology 3.. Governing Seniority of all the employees working in the post of MPS (Male/Female) shall be maintained	Division Level Promotion Committee"

4. In Schedule-IV, for serial number 21 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"21.	Multipurpose Supervisor-male/ Multipurpose Supervisor-Female	Health Education Extension Officer	1. Should have 10 years service experience 2. Post Graduation Degree in Sociology Or Post Graduation Degree in Social Work (M.S.W.) Or Post Graduation Degree in Public Health from any recognized University	Division Level Promotion Committee"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
आर. के. टण्डन, अपर सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2018.